राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

क्रमांकः एफ. 9 ( ) रा.फि.प्रो.नी./निवेश/प.वि./2022/21772 दिनांकः 17/11/2022

परिपत्र

राज्य में फिल्म पर्यटन एवं फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति–2022 (Rajasthan Film Tourism Promotion Policy-2022) जारी की गई है। उक्त नीति के तहत मौजूदा परिचालन दिशा–निर्देशों (Operational Guidelines: Annexure A of policy) की निरन्तरता में अतिरिक्त दिशा–निर्देश एतद् द्वारा निम्नानुसार जारी किए जाते हैः–

1. फिल्म सब्सिडी की योग्यता के लिए आवेदन करने वाले अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (फिल्म निर्माता/लाइन निर्माता) द्वारा राजस्थान सिंगल साइन ऑन पोर्टल पर एसएसओ (SSO) आईडी हेतु पंजीकरण करवाकर/ अथवा पर्यटन कार्यालय (निदेशालय) में उपयुक्तता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जायेगा। फिल्म निर्माता द्वारा लाइन निर्माता को जिन कार्यो के लिए अधिकृत किया जायेगा, उन सभी कार्यो के लिए लाइन निर्माता आवेदन कर सकेगा।

2. प्रोडक्शन हाउस के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/लाइन प्रोड्यूसर फिल्म सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए प्रात्र होंगे एवं सब्सिडी हेतु बिल पेश कर सकेंगे।

3. आरएफटीपीपी–2022 (RFTPP-2022) में परिभाषित फीचर फिल्म/टीवी शो/टीवी सीरियल/वेब सीरीज/रियलिटी शो/डॉक्यूमेंट्री फिल्म, सब्सिडी की योग्यता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं, जिन्हें सुविधा की दृष्टि से फिल्म प्रोजेक्ट के नाम से उल्लेखित किया जाएगा।

4. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आवेदक फॉर्म ''सी'' में फिल्म सब्सिडी हेतु आवेदन करेगा। फिल्म सब्सिडी की पात्रता हेतु प्राप्त आवेदन (Annexure- C) का परीक्षण फिल्म पर्यटन सुविधा प्रकोष्ठ (FTFC) के स्थान पर नीति के बिन्दु संख्या 8.8 द्वारा गठित विभागीय समिति द्वारा किया जाएगा तथा विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर निदेशक/ आयुक्त पर्यटन द्वारा सब्सिड़ी के लिए उपयुक्तता का प्रमाण (Annexure- D) पत्र 30 कार्य दिवस में जारी किया जाएगा।

5. फॉर्म 'सी' के साथ दस्तावेज – कंपनी का विवरण, फिल्म का सार (Synopsis) (अधिकतम 2000 शब्दों में) एवं ''फिल्म निर्माता द्वारा स्वघोषणा (Self Declaration)'' संलग्न किये जायेंगे।

6. विभाग फॉर्म 'डी' यानी आरएफटीपीपी–2022 (RFTPP-2022) के तहत सब्सिडी के लिए उपयुक्तता का प्रमाण पत्र जारी कर देता है तब अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता फिल्म शूट शुरू

होने से न्यूनतम 15 दिन पहले एसएसओ (SSO) पर 'शूटिंग के लिए अनुमति' के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

7. राजस्थान में 'फिल्म शूटिंग अनुमति' के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ उपलब्ध हैं। जिसके लिए लिंक https://sso.rajasthan.gov.in है।

8. आरएफटीपीपी–2022 (RFTPP-2022) के प्रावधानों के तहत उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र प्राप्त फिल्म प्रोजेक्ट, नीति के तहत उपलब्ध लाभों हेतु पात्र होंगे।

9. पर्यटन विभाग उन सभी संबंधित विभागों को 'फॉर्म डी' यानी 'आरएफटीपीपी–2022 (RFTPP-2022) के तहत सब्सिडी के लिए उपयुक्तता' की प्रति प्रेषित करेगा जिनके अधिकार क्षेत्र में संबंधित फिल्म की शूटिंग की जाएगी।

10. फिल्म की रिलीज के बाद अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर फिल्म सब्सिडी का दावा करने के लिए फिर से आवेदन करेगा, अगर फिल्म निर्माता ने परियोजना की योग्य लागत (QCOP) में बताई गई वस्तुओं पर राजस्थान में 2 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया है। अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता फिल्म के रिलीज होने के 1 वर्ष में सब्सिडी के दावे के लिए आवेदन कर सकते हैं।

11. दस्तावेज जमा करने के बाद, एफटीएफसी (FTFC) सभी दस्तावेजों का सत्यापन करेगा और यदि उपयुक्त पाया जाता है तो ऑनलाइन आवेदन जमा करने के 60 दिनों में आवेदक को सब्सिडी जारी की जावेगी।

12. टीवी शो/टीवी सीरियल/ वेब सीरीज/रियलिटी शो/वृत्तचित्र के लिए 30 दिनों की शूटिंग विभाजित अंतराल पर की जा सकती है लेकिन फिल्म निर्माताओं को इसके स्थानों के साथ फिल्म शूटिंग की प्रारंम्भ और समाप्त होने की अवधि निर्दिष्ट करना आवश्यक होगा।

यह दिशा– निर्देश नीति के Annexure A: Operational Guidelines का भाग होंगे।

संलग्नः– फिल्म निर्माता द्वारा स्वघोषणा प्रपत्र (Self Declaration format)।

(गायत्री राठोड़)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांकः एफ. 9 ( ) रा.फि.प्रो.नी. / निवेश / प.वि. / 2022 / 21773-21785 दिनांकः 17/11/2022

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान
9. समस्त आयुक्त पुलिस / पुलिस अधीक्षक, राजस्थान
10. निजी सचिव, आयुक्त / निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. निजी सचिव, निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर।
12. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (प्रशा. / विकास), पर्यटन विभाग, जयपुर।
13. संयुक्त निदेशक (प्रशा. / ट्रेड / निवेश / विकास / मे.त्यौ. / सा.शा. / विपणन), पर्यटन विभाग, जयपुर।
14. उप निदेशक (टैफ / प्रचार), पर्यटन विभाग, जयपुर।
15. ए.सी.पी., पर्यटन विभाग, जयपुर को पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16. उप निदेशक / सहायक निदेशक / पर्यटक अधिकारी, पर्यटक स्वागत / सूचना केन्द्र, ————————————————।

(डॉ. रश्मि शर्मा)
निदेशक, पर्यटन

राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति–2022 (RFTPP-2022) के अंतर्गत

फिल्म निर्माता द्वारा स्वघोषणा
(Self-Declaration by Film Makers)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं/हम राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग को फिल्म शूटिंग के लिए आवेदन करने से पहले निम्नलिखित बिंदुओं के साथ आरएफटीपीपी–2022 (RFTPP-2022) के सभी मानदंडों का पालन करेंगे।

1. मैं/हम आश्वस्त करते हैं कि फिल्म (फीचर फिल्मस/वेब सीरीज/टीवी सीरियल/टीवी शो/डॉक्यूमेंट्री/रियलिटी शो) राष्ट्र या राजस्थान राज्य या इसकी संस्कृति, इतिहास, लोगों के लिए आपत्तिजनक प्रसंग / दृश्य नहीं दिखाएगे जो स्थान, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण आदि या राष्ट्रीय अखंडता, संप्रभुता और धार्मिक सद्भाव के लिए खतरा पैदा करते हैं। यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो फिल्म निर्माता और फिल्म निर्देशक पर कानूनी प्रक्रिया लागू होगी।
2. मैं/हम फिल्म की सत्यापित स्क्रिप्ट प्रदान करेंगे और इसे एक प्रसिद्ध स्क्रिप्ट मूल्यांकनकर्ता फर्म/स्क्रिप्ट मूल्यांकनकर्ता से प्रमाणित कराएँगे कि इसमें कोई आपत्तिजनक प्रसंग / दृश्य नहीं है। वेब सीरीज और वृत्तचित्रों के मामले में मैं/हम फिल्म को ''सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021'' के अनुसार स्व–नियामक तंत्र के तहत U या U/A के रूप में रेट करेंगे।
3. यह फिल्म आरएफटीपीपी–2022 (RFTPP-2022) के अनुसार ''प्रोत्साहन के लिए अपात्र फिल्मों'' की श्रेणी में नहीं आती है।
4. मैं/हम राजस्थान के सभी क्रू मेंबर्स के विवरण आधार कार्ड या वोटर कार्ड के वैध पहचान प्रमाण द्वारा सत्यापित कर उपलब्ध कराएंगे।
5. मैं/हम फिल्म शूटिंग की संभावित आरंभ और समाप्ति तिथि के साथ–साथ रिलीज की संभावित तारीख का उल्लेख करेंगे।
6. राजस्थान को फिल्म में प्रदर्शित करने का न्यूनतम स्क्रीन टाइम (फीचर फिल्में/वेब सीरीज/टीवी सीरियल/टीवी शो डॉक्यूमेंट्री/रियलिटी शो) सब्सिडी का दावा करने वाले वास्तविक फिल्म के कुल स्क्रीन टाइम का 15% होगा।
7. मैं/हम स्वीकार करते हैं कि पेय पदार्थों (Beverages) की प्रतिपूर्ति केवल गैर–मादक (Non-alcoholic) पेय तक ही सीमित होगी।

दिनांकः

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

स्थानः